

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 79 / टोक 1999 - 2000

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श इण्डियन पाइपेल्स
स्कुल बिज्जा समिति देवली जिला टोक

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज
दिनांक अक्टूबर माह दिसम्बर एक हजार नौ सौ
निम्नलिखित को टोक में दिया गया।



28/12/99
रजिस्ट्रार संस्थाएं
टोक (राजस्थान)